भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 478
दिनांक 03 फरवरी, 2026 / 14 माघ, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम

478. श्री प्रदीप कुमार सिंहः
डॉ. हेमंत विष्णु सवराः
श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमाः
श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलालः
श्री पी.पी. चौधरीः
डॉ. के. सुधाकरः
श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालूः
श्रीमती अपराजिता सारंगीः
श्रीमती कमलजीत सहरावतः
श्री चन्द्र प्रकाश जोशीः
श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटीः
श्री कौशलेन्द्र कुमारः
डॉ. हेमांग जोशीः
श्री जुगल किशोरः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बात का मूल्यांकन किया है कि बढ़ी हुई वित्तीय सहायता और प्रौद्योगिकी ने शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन को किस प्रकार सुदृढ़ किया है;

(ख) क्या सरकार ने शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम (यूएफआरएमपी) के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन, वास्तविक समय की निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र स्थापित किया है;

(ग) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या महाराष्ट्र के पालघर जिले और राजस्थान के पाली संसदीय क्षेत्र सहित देश में बाढ़-प्रतिरोधक क्षमता के वास्तविक परिणामों, जैसे शहरी बाढ़ की घटनाओं में कमी, प्रतिक्रिया समय, बुनियादी ढ़ाचे को होने वाली क्षति और जीवन एवं संपति के नुकसान को मापने के लिए कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

लोक सभा अता.प्र.सं. 478, दिनांक 03.02.2026

(क) से (ड.): शहरी बाढ़ का प्रबंधन राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों/शहरी विकास प्राधिकरणों के दायरे में आता है। केंद्र सरकार योजनाओं/सलाहों के ज़रिए राज्यों के प्रयासों में मदद करती है और राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

केंद्र सरकार द्वारा सात (07) शहरों यानी अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और पुणे के लिए कुल 3075.65 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय की शहरी बाढ़ जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम (UFRMP) चरण-I को मंज़ूरी दी गई है और ग्यारह (11) शहरों यानी भोपाल, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, जयपुर, कानपुर, पटना, रायपुर, तिरुवनंतपुरम, विशाखापत्तनम, इंदौर और लखनऊ के लिए कुल 2444.42 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय की UFRMP चरण-II को भी राष्ट्रीय आपदा शमन कोष (NDMF) के तहत वित्तीय सहायता के लिए मंज़ूरी दी गई है।

स्वीकृत शहरी बाढ़ परियोजनाओं की NDMF के निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार नियमित निगरानी और समीक्षा की जाती है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा एक निगरानी और मूल्यांकन ढांचा विकसित किया गया है और संबंधित शहरों में कार्यक्रम की भौतिक और वित्तीय प्रगति की निगरानी के लिए शहरों के साथ साझा किया गया है।

NDMA द्वारा जारी शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश शहरी बाढ़ के प्रबंधन हेतु योजनाओं के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये दिशानिर्देश, मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों और शहरी स्थानीय निकायों को उनकी आपदा प्रबंधन योजनाएँ बनाने में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए तैयार किए गए हैं। ये दिशानिर्देश विभिन्न स्तरों पर एक सक्रिय, भागीदारीपूर्ण, सुसंरचित, असफलता-सुरक्षित, बहु-विषयक और बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण का आह्वान करते हैं।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) ने वर्ष 2017 में शहरी बाढ़ के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है जो शहरी स्थानीय निकायों, जिला प्रशासन और राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली विशिष्ट कार्रवाइयों को निर्धारित करती है।

*****